R.M.M. Law College.
9024259
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Teacher
sub- evidence

प्रस्तुति:

पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान अभिलिखित मृत्युकालिक कथन — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 (2) के अन्तर्गत अपवर्जित अपवाद के द्वारा कारण से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन ग्राह्य किए गए थे, अन्यथा ऐसा मृत्युकालिक कथन तब तक विचार में न लाया जाए जब तक कि अभियोजन न्यायालय का यह समाधान न करे कि वह कथन किसी मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्सक से अभिलिखित क्यों नहीं कराया गया।

अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान स्वयं मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने की पद्धति प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इसके कारण यह नहीं है कि ऐसा कथन सदैव विश्वसनीय नहीं होता किन्तु घायल व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने की अच्छी सर्वोत्तम पद्धति को ही व्यवहृत किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है परन्तु यह तभी अभियोजक के लिये कोई अन्य अच्छी पद्धति—

Scanned with CamScanner

अंगीकृत करने का स्पष्ट अथवा प्रतिस्था न रही हो।

मजिस्ट्रेट अथवा डाक्टर द्वारा नहीं लिखा गया दैनिक किया उसकी अनुपलब्धता का कोई स्पष्टीकरण किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया गया था। कथन पर कथनकर्ता का शिक्षित होते हुए भी हस्ताक्षर नहीं लिया गया था उसकी साबित नहीं किया गया था जलने के कारण वह हस्ताक्षर करने में अक्षम होगी थी। उक्त कथन के समय घोषणाकर्ता के तरफ से कोई सम्बन्धी भी उपस्थित होनी चाहिए।

मृत्युकालिक घोषणा का अभिलेख प्रस्तोता [illegible] मे भी किया और सर्वोच्च न्यायालय हितबद्ध स्थिति मानती है।

यह प्रमाणित होना आवश्यक मृतक चेतनावस्था में मृत्युकालीन करने वाला व्यक्ति का नाम बताना उस समय अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति आवश्यक है।

कोई मृत्युकालिक कथन उन व्यक्तियों के पूरा नाम वो पता साफ स्पष्ट होना भी आवश्यक है लिखित होए जिससे की होसके सम्पुष्ट के बिना ग्रहण किया साक्ष्य ग्राह्य नहीं मानी जायेगी। जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करता है उसे यह सुनिश्चित करना

मरता हुआ व्यक्ति (dying man) सोचकर समझ कर
एवं सामान्य समझ के साथ कथन करता है।
मृत्युकालिक कथन को प्रश्न उत्तर के रूप में
अभिलिखित नहीं किया गया है। का निराकरण
किया जा सकता है।

इस प्रकार मरते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित के
विशेष परिस्थिति मे दिए गये व्यक्तव्य को विशेष
महत्व प्रदान किया गया है। तथा प्रथम सिद्धान्तों
के आधार पर आहत होते हुए यह अपेक्षित न
की मृत्यु
मान लिया जाय कि वक्तव्य दाता
आशा नहीं करता था।

न्यायालयों इस ~~निष्कर्ष~~ पर पहुँचा कि विधि
अकाट्य नियम के रूप में प्रतिपादित नहीं
किया जा सकता अकेले मृत्युकालिक कथन
दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता जब
तक संपोषित न हो। प्रत्येक मामले
का निर्धारण परिस्थितिवश होता है।
मृत्युकालिक कथन एक उक्ति साक्ष्य है,
मौखिक साक्ष्य पर आधारित है और
मानवीय स्मृति और स्वभाव की
सभी दोषों से युक्त हो सकता है।